

सत्य - पत्र (प्रारूप अ)

इस पत्र का नाम श्री सुनील कुमार अग्रवाल अग्रवाल एवं सवित्रा जी०बी० केसरीकर सोसाइटी 381 बुलावा
बन कोलोनी अग्रपुरी बीकानेर जगपुर।

सामग्रीयक निम्नलिखित ध्यान करती है:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बाऊ गौतम कोलेज ऑफ फार्मेसी तमिना रोड सीड
एम्बरपुर जगपुर तालुका जिल्ला इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 में किया
गया प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम अम सीड कारील एम्बरपुर जगपुर में प्लॉट संख्या
63मि० एका 2.2345 हेक्टेयर (कुल एका 2.2345 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई चर भी चर किसी भी न्यायालय में नहीं चल
रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के प्लॉट संख्या 63मि० एका
1.0620 हेक्टेयर (कुल एका 1.0620 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की जिल्ला इन फार्मेसी
संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.01.2019 द्वारा
पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित जिल्ला इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु कच्चे का
निर्माण अनुमोदित करने के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लॉट पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर
निर्मित एवं निर्धारित कानून की निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित कानून पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
के निम्नलिखित के अनुरोध की जिल्ला इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित
किया परिपत्र से सम्बन्धित फलपत्तिका एवं जल वस्तु के अनुसार ही फलपत्तिका में प्रमाणित प्रदान
किया करेगा।





21


9. यह कि उपरोक्त कृषि व इस पर निर्भर मकानों में फार्मसी कार्डरिजल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से सख्त संस्था एवं फंडफार्मों के जॉरिफा किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/ सख्त कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/प्राविद्यालय/आई.टी.आई. जदि का संघोदन न हो पूर्व में कर्षी किय गय है, और न ही भविष्य में कर्षी किय जयेग।
10. यह कि संस्थान के संघोदन हेतु आवश्यक सलाह सभ, प्रभेपकालाजो एवं कार्यकालाजो जदि को फार्मसी कार्डरिजल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मागको के अनुसार ही सुलभित किय जयेग।
11. यह कि संस्था के संघोदन हेतु आवश्यक वैदिक एवं जरीबिक स्टक की तैयारी रीसावटी/दुल द्वारा सत्र जॉरफ के पूर्व कर लिख जयेग।
12. यह कि जालन/परिषद द्वारा निर्गत जियेजो/जयेजो का कर्षी- भविष्य पठन कर्षीग। यदि में संघोदन में कियी की सभ्य स्थलेव निर्देशन में मानकानुसार बोर्डों को कर्षी पदो जारी है तो परिषद की निर्देशन एवं सखतकत समिति द्वारा किय गय निर्णय जॉरिफ होग एवं सुडे कन्य होग। इस हेतु मेंरे द्वारा कोई निविक कार्यकारी गरी की जयेगी।
13. मैं घोषण करत/करती हू कि मेंरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेंरे निजी जानकारी में पूर्ण सभ से सभ्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं जभिलेख/दस्तावेज कर्षी, कूरुपित अन्यक कुरिपूर्ण कर्षी जाले है तो मेंरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमनुसार कानून संघट कार्यकारी की जा सकेगी। ऐसी की गयी कार्यकारी हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।


 10 जयिग


 10 जयिग